कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला हरदा(म.प्र.)

(Tel. No.-07577-22538, Email – ddvs.ahhar@mp.gov.in)

क्र. 1561 /स्थापना शाखा /2025–26 हरदा, दिनांक 30.05.2025

प्रति,

राष्ट्रीय सूचना केंन्द्र (NIC)
कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा

विषयः– विशेष भर्ती अभियान के तहत् निःशक्तजन (दृष्टि बाधित) के लिये की जाने वाली भर्ती हेतु विज्ञापन बावत्।

पशुपालन एवं डेयरी जिला हरदा में चतुर्थ श्रेणी (दृष्टिबाधित) रिक्त पद पूर्ति करने हेतु विज्ञापन जारी किया गया हैं। विशेष भर्ती अभियान के तहत निःशक्तजन (दृष्टिबाधित) के लिये की जाने वाली भर्ती हेतु विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप एवं सेवा शर्ते जिले की बेवसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें। सॉफ्टकॉपी एवं हार्डकॉपी में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार (विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप एवं सेवा शर्ते)

उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवायें
जिला–हरदा (म.प्र.)

पृ.क्र. 1562 /स्थापना शाखा /2025 हरदा, दिनांक 30.05.2025

प्रतिलिपिः–

1 संचालक महोदय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2 कलेक्टर जिला हरदा की ओर सूचनार्थ।
3 संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवायें
जिला–हरदा (म.प्र.)

कार्यालय उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला हरदा

(Tel. No.-07577-22538, Email – ddvs.ahhar@mp.gov.in)

क्रमांक 1431 /स्थापना/निःशक्तजन भर्ती/2025-26/ हरदा दिनांक 16.05-2025

विशेष भर्ती अभियान के तहत् निःशक्तजन (दृष्टि बाधित) के लिये की जाने वाली भर्ती हेतु विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित निर्णय व संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग म.प्र. भोपाल का पत्र क्रं 5585/स्था.ब./अलिपिक/2025/भोपाल, दिनांक 24.04.2025 एवं संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग म.प्र. भोपाल का पत्र क्रं 4090/स्था.ब./2025/भोपाल, दिनांक 26.03.2025 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-8-२/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 29.04.2025 के परिपालन में दिव्यांगजन (दृष्टि बाधित) के विशेष भर्ती अभियान अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के 01 रिक्त पद की पूर्ति हेतु दिनांक 20.06.2025 तक आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में (कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 तक) जमा किये जा सकेगें। रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है -

विज्ञप्ति पद (संवर्ग का नाम एवं वेतन बैड	पद श्रेणी	पदों की संख्या			निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा
		अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	
भृत्य रु.- 15500-49000	चतुर्थ	–	01	–	18 वर्ष से 40 वर्ष, 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट सहित 45 वर्ष अधिकतम एवं न्यूनतम आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य

आवेदन पत्र एवं सेवा शर्ते कार्यालय उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला हरदा से प्राप्त की जा सकती हैं एवं कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर चस्पा है। चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की मेरिट के आधार पर किया जायेगा । उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र एवं सेवा शर्ते विभागीय वेबसाइट WWW.MPDAH.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं.

उपसंचालक 16/5/25
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
जिला हरदा (म.प्र.)

(विशेष भर्ती अभियान के तहत निःशक्तजन (दृष्टि बाधित) आवेदकों के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप)

प्रति,

उपसंचालक

पशु चिकित्सा सेवायें

जिला हरदा (म०प्र०)

नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा करे

विषय - निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति वावत।

संदर्भ - विज्ञापन क.-..........................

1. आवेदक/आवेदित पद का नाम (हिन्दी में)..

   आवेदक/आवेदित का नाम अंग्रेजी में (केपीटल अक्षरों में)..

2. लिंग- पुरूष/महिला ....

3. पिता/पति का पूरा नाम...

4. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता..

   (ब) स्थायी निवास का पूरा पता...

   ....

5. (अ) जन्मतिथि (अंको में)..

   (ब) दिनांक 01.01.2025 को आयु ....माह.................दिन......................................

6. क्या आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी है? ....

   हां/नहीं (अभिप्रमाणित पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

7. क्या आवेदक म०प्र० शासन द्वारा म०प्र० के लिये घोषित एवं मान्य अनु०जनजाति, अनु० जाति वर्ग का सदस्य है, यदि हां तो जाति / उपजाति का उल्लेख करें...

8. क्या आवेदक निःशक्त / विकलांग है? हां/नहीं ....

   (हां तो अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

9. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत...

10. रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक..

    ....

11. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालय में कार्यरत..

    ....

(आवेदनकर्ता अवधि का पूर्ण विवरण प्रमाण पत्र सहित देवें)

12. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं (प्रमाणपत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था का नाम	परीक्षा वर्ष	विषय	प्राप्त अंक	कुल अंक	प्रतिशत

13. संलग्न अभिप्रमाण पत्रों की कुल संख्या –

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

दिनांक...........................

स्थान...........................

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

//स्व घोषणा //

मैं.. पुत्र / पुत्री श्री.. उम्र...............वर्ष..............निवासी...जिला..................म.प्र. यहा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दशाई गई समस्त जानकारी / अभिलेख पूर्णतः सही / सत्य हैं यदि उपरोक्त जानकारी असत्य / मिथ्या पाई जाये तो मेरी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जावे इस हेतु मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम......................................

पता......................................

....

....

कार्यलय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाये जिला हरदा

(Tel. No.-07577-22538, Email – ddvs.ahhar@mp.gov.in)

क्रमांक 1431 /स्थापना/नि:शक्तजन/2025-26/हरदा

दिनांक 16-05-2025

प्रति,

संचालक महोदय,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
भोपाल म0प्र0

विशेष भर्ती अभियान के तहत् नि:शक्तजन (दृष्टि बाधित) के लिये की जाने वाली भर्ती हेतु विज्ञापन

01. संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग म.प्र. भोपाल का पत्र क्रं 5585/स्था.ब./अलिपिक/2025/भोपाल, दिनांक 24.04.2025 एवं संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग म.प्र. भोपाल का पत्र क्रं 4090/स्था.ब./2025/भोपाल, दिनांक 26.03.2025 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-8-२/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 29.04.2025 में निहित प्रावधान अनुसार कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला हरदा के पशुपालन स्थापना अंतर्गत नि:शक्तजनों (दृष्टि बाधित) के आरक्षित पद पर पद पूर्ति किया जाना है।

02. उक्त हेतु आवेदन पंजीकृत डाक या स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 20.06.2025 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से साय 6 बजे तक कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला हरदा में प्रस्तुत कर सकते हैं।

विज्ञप्ति पद (संवर्ग का नाम एवं वेतन बैंड)	पद श्रेणी	पदों की संख्या			निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा
		अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	
भृत्य 15500-49000 ग्रेड पे	चतुर्थ	–	01	–	18 वर्ष से 40 वर्ष, 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट सहित 45 वर्ष अधिकतम एवं न्यूनतम आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य

www.mpvacancy.in

मुख्य शर्तें -

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
2. समस्त प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने के उपरांत प्रमाण-पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जाये ।
3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक सी-3-38/16 /1/3 भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निशक्तजन/महिलाओं/अनारक्षित/आरक्षित आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) होगी ।
4. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक सी-3-8/2016/3/एफ भोपाल दिनांक 12.05.2017 एवं परिपत्र कमांक सी-3-38/1/3 भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019 के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. दिव्यांगता का डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 21.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
6. मूल निवासी प्रमाण पत्र/ जाति प्रमाण पत्र , दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
7. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्त कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है
9. जिन आवेदकों का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो उसे उक्त पद के लिए अयोग्य माना जायेगा ।
10. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदक पद के निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है।
11. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य, या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
12. सीधी/बैकलाग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 अन्तर्गत नियुक्त होगें।

www.mpvacancy.in

13. मध्यप्रदेश शासन समान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्ग वार आरक्षण न करते हुये दिव्यांगजन की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछडी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भूरिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगें।

14. अभिलेख को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हों जो रूपांन्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जायेगें। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो. जो चयन के लिए आवश्यक हो. तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जायेगें।

15. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

16. शासन के आदेश अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवित सन्तानें है जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तो ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद में प्रसव में दो या अधिक संतान जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जायेगा।

17. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदो पर चयन होने पर अभ्यार्थी 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा परिवीक्षा अवधि अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेड के रूप में दी जायेगी।

18. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे ।

19. चयन आठवी कक्षा के प्रासांको के प्रतिशत के आधार पर तैयार कर मैरिट सूची से किया जायेगा।

20. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का कार्य पर उपस्थिति के समय दिव्यांगता, फिटनेस का प्रमाण पत्र जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड का प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवाये
जिला हरदा

www.mpvacancy.in

पृष्ठांक /1405/स्थापना/निःशक्तजन/2025-26/ हरदा

प्रतिलिपिः-

दिनांक 16-05-2025

01. आयुक्त महोदय, निःशक्तज, कम्यूनिटी हॉल, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. आयुक्त महोदय, सामाजिक न्याय, 150 तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
03. कलेक्टर महोदय, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ।
04. अपर कलेक्टर, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला हरदा की ओर सूचनार्थ।
06. उपसंचालक, विशेष रोजगार कार्यालय निःशक्तजन, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
07. उपसंचालक सामाजिक न्याय जिला हरदा की ओर सूचनार्थ।
08. जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय जिला हरदा की ओर सूचनार्थ।
09. जनसंपर्क अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा की ओर भेजते हुए निवेदन है कि सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
10. जिला सूचना अधिकारी हरदा की ओर सूचनार्थ एवं जिले की वेब साइट पर प्रदर्शन हेतु ।

उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवायें
जिला-हरदा (म.प्र.)

www.mpvacancy.in